fax/speed post

पत्रांक 15/सी 2–110/2014
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 2014

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 1349/2014 हृदय नारायण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1256 दिनांक 03.07.2014 एवं 1748 दिनांक 04.09.2014 का निदेश किया जाए। वांछित प्रतिवेदन आपके विश्वविद्यालय से अब तक अप्राप्त है। विषयांकित वाद में नालन्दा खुला विश्वविद्यालय सहित अन्य कतिपय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर की गयी नियुक्ति को चुनौती दी गयी है। वादी द्वारा नियुक्त कुलपतियों को वांछित अर्हता धारित नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है।

वर्णित वस्तुस्थिति एवं तथ्यों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने विश्वविद्यालय के कुलपति के धारित योग्यता से संबंधित प्रमाणिक कागजात के साथ–साथ याचिका में उठाये गये अन्य बिन्दुओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय का पक्ष सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय ताकि उपर्युक्त वाद में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र ससमय दायर किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/सी 2–110/2014-2085 पटना, दिनांक 03/11/2014

fax

प्रतिलिपि :– कुलपति, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
राजेश